

>

Title: Need to absorb the employees of District Rural Development Agency, Uttar Pradesh in Panchayati Raj Department of the State.

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) :महोदय, ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए 15 अगस्त, 1980 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) का गठन किया गया था। पिछले 27 वर्षों से इस विभाग के माध्यम से ग्रामों के विकास के कार्य केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कराये जा रहे हैं। इसके तहत योजनाओं के लिए 75 फीसदी बजट केन्द्र और 25 फीसदी बजट राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। परन्तु अब केन्द्र द्वारा उक्त अभिकरण द्वारा संचालित होने वाली सभी योजनाओं को पंचायती राज विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में कार्य करने वाले लगभग 2000 कर्मचारियों की तैनाती के बारे में कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। इस अनिश्चितता को लेकर सभी कर्मचारी एवं उनके परिवारजन परेशान हैं।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाले सभी 2000 कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में समायोजित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जायें।